

वडिफॉल टैक्स

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

हाल ही में भारत सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर **वडिफॉल टैक्स** को 3,250 रुपए प्रतिटन से बढ़ाकर **6,000 रुपए प्रतिटन** कर दिया है।

- वडिफॉल टैक्स एक प्रकार का कर है जो उन कंपनियों अथवा व्यक्तियों पर लगाया जाता है जिन्होंने अप्रत्याशित रूप से अथवा नाटकीय रूप से अत्यधिक लाभ अर्जित किया है, जो प्रायः उनके नियंत्रण से परे बाह्य कारकों के कारण होता है।
 - यह सामान्यतः तेल, गैस एवं खनन जैसे उद्योगों पर लगाया जाता है।
 - इसका उद्देश्य कम्पनियों द्वारा अर्जित असाधारण लाभ का एक हिस्सा प्राप्त करना तथा उसे सार्वजनिक हित के लिये पुनर्वितरित करना है।
 - यह ऊर्जा उद्योग में पारदर्शिता, नष्पकषता एवं उत्तरदायित्वपूर्ण आर्थिक प्रथाओं को बढ़ावा देने हेतु एक रणनीतिक उपाय है।
- इस बढ़ोतरी से भारत में कार्थरत तेल कंपनियों के लाभ प्रभावित होगा और साथ ही उनकी आय भी कम हो जाएगी।
- भारत ने पहली बार 1 जुलाई 2022 को वडिफॉल लाभ पर कर लागू किया, जो अन्य देशों के साथ संरेखित है जो ऊर्जा कंपनियों के अत्यधिक लाभ पर कर लगाते हैं।
- कर दरों का प्रतिदो सप्ताह में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जसिमें पछिले पखवाड़े की अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों को ध्यान में रखा जाता है।

Windfall Tax



Benefits

- Boosts government revenues
- Provide public services and other benefits to the citizens
- Windfall gains can repay interest-bearing consumer
- Invest the windfall proceeds in gold deposits

//

और पढ़ें: [वडिफॉल टैक्स](#)

